भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 264

दिनांक 30.11.2021/ 9 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

सेवारत और सेवानिवृत सीएपीएफ कर्मचारियों हेतु कैंटीन

†**264. श्री जी.एम.** सिद्देश्वर:

श्रीमती पूनम महाजन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के सेवारत और सेवानिवृत कर्मियों के लिए कार्यरत मास्टर कैंटीनों और सहायक कैंटीनों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने रक्षा कर्मियों के लिए सीएसडी कैंटीन की तरह रियायती दर पर केंद्रीय पुलिस कैंटीन (सीपीसी) में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने सीपीसी में केवल स्वदेशी उत्पादों को बेचने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कदम के पीछे का क्या उद्देश्य है इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिकों के लाभ के लिए कुल 119 मास्टर भंडार और 1931 सहायक भंडार कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मास्टर भंडारों की देखरेख में 07 मिनी भंडार भी कार्य कर रहे हैं, जिन्हें पूर्व-सीएपीएफ संगठनों द्वारा संचालित किया जाता है।

(ख): केंद्रीय पुलिस कैंटीन (सीपीसी), जिसे अब केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी) नाम दिया गया है, के लाभार्थियों को फर्मों/सप्लायरों के साथ प्रत्यक्ष समझौते के तहत रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केपीकेबी के साथ उत्पादों के पंजीकरण से पहले सरकारी नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार सभी मानक मापदंड सुनिश्चित किए जाते हैं, ताकि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में, केपीकेबी के माध्यम से बेचे जाने वाले उत्पादों पर जीएसटी में कोई छूट नहीं है, जैसा कि सीएसडी के लिए उपलब्ध है।

(ग): घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, दिनांक 01.06.2020 से, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी) के माध्यम से केवल “स्वदेशी सामान” बेचने का निर्णय लिया गया है।

****